


राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 2142 / 2019 दिनांक 22.10.2019

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक : स्था. (रा.न्या.से.)अवकाश/ 1898 / 2019 दिनांक 24.09.2019 के द्वारा श्री प्रहलाद राय शर्मा (RJ0327), विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-01, पाली को दिनांक 09.10.2019 से 11.10.2019 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 06.10.2019 से 08.10.2019 एवं 12.10.2019 से 13.10.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसे निरस्त किया जाता है ।

आज्ञा से




रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/32/2000/9988

दिनांक 22.10.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-01, पाली को उनके पत्रांक 199 दिनांक 11.10.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री प्रहलाद राय शर्मा (RJ0327), विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-01, पाली ।
4. विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-02, पाली ।


22.10.2019
सहायक रजिस्ट्रार